प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **59/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

बाबूलाल पुत्र धर्मा मेघवाल निवासीः गांव गोवला, पावर हाऊस चोराहा, जिंक स्मेल्टर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/59/25/400–401 दिनांक 24.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा जरिये पत्रांक सु.अ.अ. /2025/561 दिनांक 21.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 15.03.2025 इस कार्यालय में दिनांक 19.03.2025 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तैयार की जाकर राशि जमा करा प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 437 दिनांक 09.04.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया था। अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने से वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 502 दिनांक 09.05.2025 द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक भिजवा दी गई है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्रांक 502 दिनांक 09.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है।सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर